राजस्थान सरकार

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 578 जयपुर/2005-06

यह प्रमाणित किया जाता है कि गणपति एजुकेशन एण्ड मेडिकेयर सोसायटी, खेजरोली जिला जयपुर राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण–पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक 21 माह फरवरी सन दो हजार छः को जयपुर में किया गया।

(प्रहलाद आमेरिया)
रजिस्ट्रार संस्थाए
रजिस्ट्रार जयपुर संस्थाए

मुद्रक : राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर-1 © 2374969 2751352 2751417

Scanned with CamScanner

17. कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार :— संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिका[री] संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगे

1-अध्यक्ष 20,000/- रु.

2-मन्त्री 20,000/- रु.

3-कोषाध्यक्ष 20000/- रु.

प्रत्येक राशि का अनुमोदन प्रबंधकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्ष[क] की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जायेगी।

18. संस्था का अंकेक्षण :— संस्था के समस्त लेखों जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा। वार्षिक लेखे रजिस्[ट्रार] संस्थाऐं को प्रस्तुत करने होंगे।

19. संस्था के विधान में परिवर्तन :— संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2[/3] बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान सं[स्था] रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

20. संस्था का विघटन :— यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्प[त्ति] समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित करदी जावेगी। लेकिन उक्त समस्त कार्यव[ाही] राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप हो[गी]। रजिस्ट्रार संस्थाऐं को पंजीयन रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।

21. संस्था के लेखे जोखे का निरीक्षण :— रजिस्ट्रार संस्थाएं जयपुर को संस्था के रेकार्ड का निरीक्षण/जांच करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावे[गी]।

प्रमाणित किया जाता कि उक्त विधान (नियमावली) गणपति एजुकेशन एंड डेवलपमेंट सोसायटी समिति/सोसायटी/संस्थान/संस्था की सही व सच्ची प्रति है।

अध्यक्ष	मन्त्री	कोषाध्[यक्ष]

अध्यक्ष	मन्त्री	कोषाध्[यक्ष]

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत

रजिस्ट्रेशन हेतु

आवेदन प्रपत्र

प्राप्ति स्थान

किशोर बुक डिपो

गवर्नमेन्ट प्रेस के सामने, सरदार पटेल मार्ग

जयपुर-302 001

प्रमाणित प्रति

रजिस्ट्रार (संस्थाएं) जयपुर

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत संस्था पंजीकृत कराने हेतु आदर्श

विधान (नियमावली)
तथा
संघ-विधान पत्र

कृपया आवेदन करने से पूर्व निम्न बातों का ध्यान रखें:-

1. यह आदर्श विधान (नियमावली) व संघ विधान पत्र केवल मार्गदर्शन के लिए हैं। संस्था के उद्देश्यों व कार्यक्षेत्र के अनुसार इसके अनुरूप परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा परिवर्तन अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत ही मान्य होगा।
2. प्रबन्धकारिणी में सृजित पद संस्था के अनुरूप घटाये या बढ़ाए जा सकते हैं। पद के नाम भी परिवर्तित किये जा सकते हैं।
3. संस्था के उद्देश्य अधिनियम, 1958 की धारा 20 के अनुरूप ही होना आवश्यक है। सुविधा के लिये क्रमांक 9 पर धारा 20 अंकित है।
4. रिक्त स्थानों की पूर्ति संस्था द्वारा ही की जानी है।
5. प्रत्येक पृष्ठ पर संस्था के तीन-तीन पदाधिकारियों के हस्ताक्षर करवाया जाना आवश्यक है।
6. संघ विधान पत्र में क्रम संख्या 4 में संस्था की प्रबन्धकारिणी का विवरण ही अंकित करना है तथा क्रम संख्या 6 पर उनके व अन्य सदस्यों के नाम/पिता का नाम अंकित कर हस्ताक्षर करवाये जावे। यह भी ध्यान रखें कि कम से कम 7 सदस्यों की प्रबन्धकारिणी पर ही संस्था पंजीकृत की जावेगी जिसमें कम से कम 15 आवेदक सदस्यों का होना अनिवार्य है।
7. संघ विधान पत्र के अन्त में 2 साक्षियों के हस्ताक्षर करावें। साक्षीगण संस्था के सदस्य नहीं होने चाहिये।
8. अनावश्यक को काट कर लघु हस्ताक्षर करें।

धारा-20

9. **सोसाइटियां जिनका रजिस्ट्रीकरण इस अधिनियम के अधीन किया जा सकेगा:-** इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित सोसाइटियों की रजिस्ट्री की जा सकेगी अर्थात:-

पूर्व प्रयोजनों के लिए स्थापित सोसाइटियां, सैनिक अनाथ निधियां, [1][खादी और ग्रामोद्योग], साहित्य, विज्ञान या ललित कलाओं की प्रोन्नति के लिये स्थापित सोसाइटियां, शिक्षण या उपयोगी जानकारी अथवा राजनैतिक शिक्षा के प्रसार के लिये स्थापित सोसाइटियां सदस्यों के साधारण प्रयोग के लिये या जनता के लिये खुले पुस्तकालयों या वाचनालयों के प्रतिष्ठान या अनुरक्षण और रंगचित्रों और अन्य कलाकृतियों के लोक संग्रहालयों और गैलरियों के लिए स्थापित सोसाइटियां, प्राकृतिक इतिहास के संकलनों और यांत्रिक और दार्शनिक आविष्कारों, लिखितों या अभिकल्पनाओं के लिये स्थापित सोसाइटियां।

1. राजस्थान राज-पत्र विशेषांक भाग 4 (क) दिनांक 17-5-1995 द्वारा अन्त:स्थापित किया गया।

10. राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन हेतु निर्धारित आवेदन प्रपत्र प्रारूप प्राप्त कर उसमें दिये गये निर्देशों की पूर्ति करते हुये विधान पत्र एवं विधान नियमावली के अनुसार ही प्रस्तुत किये जावे।
11. आवेदन पत्र के साथ अध्यक्ष, मन्त्री एवं कोषाध्यक्ष के राशन कार्ड की फोटो कापी/स्थाई निवास संबंधी प्रमाण-पत्र एवं संलग्न निर्धारित प्रारूपानुसार रुपये 10/- के स्टाम्प पर उक्त तीन अधिकृत पदाधिकारियों की ओर से शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया जावे।
12. आवेदन पत्र अधिकृत पदाधिकारी के द्वारा ही प्रस्तुत किया जावे। अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।
13. आवेदन पत्र का पृष्ठ 12 नोटेरी पब्लिक तथा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिये तथा शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित होना चाहिये।
14. ग्राम, मोहल्ला, कालोनी, विकास समितियों, नवयुवक मण्डल के पंजीयन हेतु आवेदित प्रार्थना पत्र में कार्य क्षेत्र के 60 प्रतिशत निवासी आवेदक सदस्य होने चाहिये।
15. शहरी क्षेत्र से आवेदित प्रार्थना पत्र क्षेत्रीय विधायक अथवा पार्षद के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत की जावे और ग्रामीण क्षेत्र से आवेदित प्रार्थना पत्र क्षेत्रीय विधायक, ग्राम पंचायत अथवा विकास अधिकारी के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत की जावे।
16. संस्था पंजीयन हेतु आवेदन प्रपत्र व्यक्तिगत रूप से अधिकृत पदाधिकारी द्वारा पंजीयन हेतु पत्रावली (फाईल) के रूप में पत्र प्राप्ति शाखा में प्रस्तुत की जावे।
17. पंजीकृत संस्था के मूल पंजीयन पत्रादि अधिकृत पदाधिकारी/शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पदाधिकारियों को देय होंगे।
18. शिक्षण संस्था के पंजीयन हेतु प्रबन्धकारिणी सदस्यों में से कम से कम तीन व्यक्ति शिक्षण कार्य अनुभव वाले होने चाहिये।
19. शिक्षण संस्था के पंजीयन हेतु प्रबंधकारिणी सदस्यों में से एक सदस्य बी.एड. एवं दो सदस्य ग्रैजूएट आवश्यक हैं।
20. अन्य संस्थायें जिनके द्वारा शिक्षण, तकनीकी या अन्य कार्य जिसका की प्रशिक्षण दिया जाना है योग्यता या अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना उपयुक्त रहेगा।
21. एक परिवार से एक व्यक्ति को प्रबंधकारिणी में शामिल किया जाना चाहिये। "परिवार" से तात्पर्य ऐसे किसी परिवार से है जिसमें पति और पत्नि, उनके बच्चे और उक्त बच्चों के बच्चे जो उस पर आश्रित हो तथा पति की विधवा मां जो पूर्ण रूपेण आश्रित हो।
22. नई संस्था के आवेदन प्रपत्र केवल सोमवार/मंगलवार को ही कार्यालय समय में जमा करवाये जा सकेगें।
23. संस्था पंजीयन हेतु आवेदन के 7 दिवस के बाद कभी भी कार्यालय दिवस को संस्था शाखा प्रभारी से सम्पर्क कर पंजीयन कार्यवाही की चालू प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
24. रजिस्ट्रेशन फीस सम्बन्धी अधिसूचनाएं पृष्ठ 24 पर देखे।

नोट : रजिस्ट्रार संस्थाऐं द्वारा पंजीयन शुल्क जमा कराने के आदेश प्रदान किये जाने के उपरान्त ही पंजीयन शुल्क रजिस्ट्रार संस्थाऐं के हस्ताक्षर से ही जमा कराया जावे।

Scanned with CamScanner

गणपति एज्यूकेशन एंड हैल्थकेयर समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था

संघ विधान-पत्र

1. **संस्था का नाम:-** इस संस्था का नाम गणपति एज्यूकेशन एंड हैल्थकेयर सोसायटी समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा।

2. **पंजीकृत कार्यालय** इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय ग्राम पंचायत- रैनवाल
तथा कार्यक्षेत्र:- पं. स. गोविन्दगढ़, जिला-जयपुर है
तथा इसका कार्यक्षेत्र जयपुर जिला क्षेत्र तक सीमित होगा।

3. **संस्था के उद्देश्य:-** इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

1. बालक-बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिये शैक्षणिक एवं सहशैक्षणिक गतिविधियों में उनकी रुची पैदा करना।
2. हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि के प्रचार-प्रसार हेतु विद्यालय महाविद्यालय, कोचिंग सेन्टर, मेडिकल, नार्सिंग, विधि इन्जी
3. नियरिंग फार्मेसी, वेटरनरी, बी.एड. मैनेजमेन्ट सम्बन्धी शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्र खोलना व उनका संचालन करना।
4. शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सांस्कृतिक व मनोवैज्ञानिक शिक्षण द्वारा सर्वांगीण विकास करना।
5. चिकित्सा व स्वास्थ्य सम्बन्धित सेवाऐं प्रदान करते हुये अस्पताल, औषधालय, क्लिनिक, फार्मेसी केन्द्र पशु
6. चिकित्सालय, पैरा मेडिकल एवं शिक्षा सलाह केन्द्र खोलना एवं उनका संचालन करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष — मन्त्री — कोषाध्यक्ष

7. सामाजिक बुराइयों को दूर कर जागृति लाना तथा अन्याय शोषण व भ्रष्टाचार के विरूद्ध जन जागृति पैदा करना।
8. युवाओं में खेलकूद की भावना पैदा करते हुये केन्द्र व राज्य सरकारों से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त करना।
9. पर्यावरण सुधार वन विकास वन्यजीव, पशु संरक्षण आदि गतिविधियों को बढ़ावा देते हुये विकास के कार्य करना।
10. जनहित के कार्यों को करते हुये स्थान-स्थान पर निःशुल्क वाचनालय, पुस्तकालय, धर्मशाला, प्याऊ आदि की स्थापना करना।
11. कम्प्यूटर व तकनीकि शिक्षा और अन्य आधुनिक उपकरणों द्वारा जानकारी देना व सम्बन्धित योजनाऐं लागू करना।
12. लघु उद्योगों, जल संरक्षण, फसल, प्रबन्धन कृषि बागवानी, पर्यटन, विरासत संरक्षण आदि का विकास
13. एवं पशुपालन, मुर्गीपालन, नशा मुक्ति केन्द्र, क्रेच, हॉस्टल, सड़क सुरक्षा, परिवहन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि से सम्बन्धित संस्थाओं, राज्य, केन्द्रिय सरकार बैंक वित्तिय संस्थानों से विभिन्न
14. प्रकार की आर्थिक सहायता दान, चन्दा, अनुदान आदि के द्वारा धन प्राप्त करना तथा संस्था के विकास में उनका उपयोग करना।
15.

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष — मन्त्री — कोषाध्यक्ष

रजिस्ट्रार (संस्थाएं) जयपुर

4. संस्थान का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया है, जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित हैं :-

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1.	श्री रमेश चौधरी S/o श्री सुरजमल चौधरी	निजि व्यवसाय	S-रघु-22, हाउसिंग बोर्ड - शास्त्रीनगर - जयपुर	अध्यक्ष
2.	श्रीमती अणाची देवी W/o श्री मुरलीधर जाट	ग्रहणी	ढाणी पिलवाकाली कुआ खेजरोली त०-चौमू - जयपुर	उपाध्यक्ष
3.	डॉ. बी. एल. बराला S/o श्री दानाराम बराला	चिकित्सक	275, प्रताप नगर, मुरलीपुरा जयपुर राज.	सचिव
4.	श्रीमती संतोष चौधरी W/o श्री रमेश चौधरी	ग्रहणी	गुलिया की ढाणी - राधारवाली जैतपुरा - जयपुर	उपसचिव
5.	श्री खेमाराम पुनिया S/o श्री कानाराम पुनिया	एडवोकेट	P.N.-A-11, विवेकानन्द कॉलोनी नया खेड़ा-जयपुर	कोषाध्यक्ष
6.	श्री नानूराम जाट S/o श्री गुल्लाराम जाट	अध्यापक	बराला का सागर खेजरोली - जयपुर	सदस्य
7.	श्रीमती रामेश्वरी देवी W/o श्री भैरोंराम	ग्रहणी	बराला का सागर खेजरोली - जयपुर	"
8.	जगदीश प्रसाद यादव S/o श्री भीजाराम यादव	डेयरी संचालन	ढाणी - पुरोला खेजरोली - जयपुर	"
9.	श्रीमती विजय लक्ष्मी W/o श्री रामस्वरूप	अध्यापिका	ढाणी - गढीवाली खेजरोली - जयपुर	"

अध्यक्ष मन्त्री कोषाध्यक्ष

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
10.	डॉ. किशोर कुमार S/o श्री अर्जुनदास सैनी	चिकित्सक	दादरवाल सीड फार्म बिलान्दरपुर - खेजरोली जयपुर	सदस्य
11.	श्री नन्दाराम यादव S/o श्री भाजराम यादव	खेती	पेट्रोल पम्प केपारवाली ढाणी - खेजरोली जयपुर	"
12.	श्रीमती बरदी देवी W/o श्री छोटूराम पुनिया	ग्रहणी	गांव - नांगलपुरा चौमू जयपुर	"
13.	श्रीमती मधु देवी W/o श्री हरलाल सिंह	अध्यापिका	आर्य नगर, मुरलीपुरा जयपुर	
14.	श्री आलम सिंह S/o श्री मान सिंह	सर्विस	34-35 जसवन्त नगर खातीपुरा रोड, जयपुर	
15.	डॉ० अरुण कुमार शर्मा S/o श्री प्रभानन्द शर्मा	चिकित्सक	1/14 विद्याधर नगर जयपुर	

प्रमाणित प्रति

रजिस्ट्रार (संस्थाएं) जयपुर

अध्यक्ष मन्त्री कोषाध्यक्ष

Scanned with CamScanner

5. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार हैं, इस संघ विधान पत्र के अन्तर्गत इस संस्था के रूप में गठित होने व इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक हैं :-

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1.	श्री रमेश चौधरी श्री सुरजमल चौधरी	निजी व्यवसाय	डब्ल्यू 22, हाथरोई बोर्ड, शास्त्री नगर, जयपुर	रमेश
2.	श्रीमती प्रभाती देवी श्री मुरलीधर जाट	गृहणी	ढाणी पिलवावाली मु.पो. सैजरोली त० चौमूं - जयपुर	प्रभाती
3.	डा. बी. एल बराला S/o श्री दानाराम	चिकित्सक	275, प्रताप नगर, मुरलीपुरा, जयपुर	[illegible]
4.	श्रीमती संतोष चौधरी श्री आर. सी. चौधरी	गृहणी	गुलियों की ढाणी, रामपुरा [illegible] जैतपुरा, जयपुर	
5.	श्री खेमाराम ढेनिया श्री कानाराम ढेनिया	एडवोकेट	A-11, विवेकानन्द कालोनी, नया खेड़ा, जयपुर	खेमाराम
6.	श्री नाथूराम जाट श्री गुल्लाराम जाट	व्यापार	बराला का नांगल सैजरोली, जयपुर	[illegible]
7.	श्रीमती शर्बती देवी श्री भैरोराम	गृहणी	बराला का नांगल सैजरोली, जयपुर	शर्बती
8.	श्री जगदीश प्रसाद यादव S/o श्री कीसाराम यादव	डेयरी संचालन	ढाणी बराला सैजरोली, जयपुर	जगदीश
9.	श्रीमती विजय लक्ष्मी श्री रामस्वरूप	व्यापार	ढाणी अटीवाली सैजरोली, जयपुर	Vijay

अध्यक्ष (रमेश)   मन्त्री (B.L. Barala)   कोषाध्यक्ष (खेमाराम)

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
10.	डा. किशोर कुमार S/o श्री अर्जुनदास	चिकित्सक	दादरवाल कृषि फार्म सैजरोली, जयपुर	[illegible]
11.	श्री नन्दराम यादव S/o श्री भागाराम यादव	कृषि	पैट्रोल पम्प के पासवाली ढाणी, सैजरोली, जयपुर	नन्दराम यादव
12.	श्रीमती बरफी देवी w/o श्री दौदू राम ढेनिया	गृहणी	गाँव - जगतपुरा चौमूं - जिला - जयपुर	बरफी देवी
13.	श्री मधु देवी w/o श्री हरलाल सिंह	व्यापार	आर्य नगर, मुरलीपुरा जयपुर	madhu
14.	श्री आलम सिंह S/o श्री मान सिंह	सर्विस	34-35, नरसिंह नगर, खातीपुरा रोड, जयपुर	Jalamsingh
15.	श्री अरुण कुमार शर्मा S/o श्री ब्रह्मानन्द शर्मा	चिकित्सक	114, विद्याधर नगर, जयपुर	Asharma
16.	श्री भोलाराम S/o श्री गाजोड़मल	कृषि डेयरी	गोविन्दपुरा, बिलान्दरपुर सैजरोली, जयपुर	भोलाराम
17.	श्री गणेश राम जाट S/o श्री हीरा राम	व्यापार	सैजरोली - जयपुर	[illegible]
18.	श्री कालूराम सैनी S/o श्री गणपत राम	निजि व्यवसाय	सैजरोली - जयपुर	[illegible]

अध्यक्ष (रमेश)   मन्त्री (B.L. Barala)   कोषाध्यक्ष (खेमाराम)

प्रमाणित

रजिस्ट्रार (संस्थाएँ) जयपुर

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
19	श्री ग्यारसीलाल रैगर S/o लिछमनराम	निजी व्यवसाय	खेजरोली जयपुर	ग्यारसीलाल
20.	श्री मुरली धर सामोता S/o श्री मालीराम सामोता	कृषि	हरदरामपुरा (खेजरोली)	मुरली
21.	श्री बनवारी नाई S/o श्री प्रहलाद नाई	कृषि	खेजरोली जयपुर	बनवारी
22.	श्री कैलाश बराला S/o श्री किशनलाल	कृषि	बराला की ढाणी खेजरोली	कैलाश
23.	श्री मुरली लाल	निजी व्यवसाय	गढ़ीहाली खेजरोली	मुरलीलाल
24.	श्री छाजूराम S/o श्री रामचन्द्र	अध्यापक	पील्या खेजरोली	छाजूराम
25.	श्री गोपाल दलाल S/o श्री जगदीश सहाय	निजी व्यवसाय	सिंगोद खुर्द गोविन्दगढ़	गोपाल
26.	श्री मोहनलाल S/o श्री शिवपाल	व्यापार	खेजरोली जयपुर	मोहन
27.	श्री सत्यनारायण माहेश्वरी S/o श्री जुगलकिशोर	व्यापार	खेजरोली जयपुर	सत्यनारायण

10

अध्यक्ष   मन्त्री   कोषाध्यक्ष

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				
35.				
36.				

11

प्रमाणित

रजिस्ट्रार (संस्थाएं) जयपुर

अध्यक्ष   मन्त्री   कोषाध्यक्ष

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
37.				
38.	1. संस्था का रजिस्ट्रेशन ... 579; 2. संस्था का नाम ... प्रजापति एजुकेशन एण्ड मेडिकेयर सोसायटी; 3. जिला ... जयपुर; 4. [illegible] ... 16;			
39.	5. [illegible]; 6. हस्ताक्षर [illegible]			
40.				

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते हैं व उन्होंने हमारे समक्ष अपने-अपने हस्ताक्षर किये हैं। हम यह भी घोषित करते हैं कि हम संस्था के सदस्य नहीं हैं।

(साक्षी)	(साक्षी)
1. हस्ताक्षर	2. हस्ताक्षर
(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)	(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)
दिनेश शर्मा	सुनित [illegible]
सिरसी फाटक,	127, शिल्प कॉलोनी,
खातीपुरा, जयपुर	झोटवाड़ा, जयपुर

ATTESTED NOTARY PUBLIC JAIPUR (RAJ.) 14 FEB 2006

नोट : शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित कराना होगा।

अध्यक्ष मन्त्री कोषाध्यक्ष

प्रजापति एजुकेशन एण्ड मेडिकेयर समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था

विधान (नियमावली)

1. **संस्था का नाम:-** इस संस्था का नाम प्रजापति एजुकेशन एण्ड मेडिकेयर सोसायटी समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा।
2. **पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र:-** इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय ग्राम पंचायत - खेजरोली पं.स. गोविन्दगढ़ जिला - जयपुर है तथा इसका कार्यक्षेत्र जिला - जयपुर क्षेत्र तक सीमित होगा।
3. **संस्था के उद्देश्य:-** इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

1. बालक-बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिये शैक्षणिक एवं सहशैक्षणिक गतिविधियों में उनकी रुचि पैदा करना।
2. हिन्दी, अंग्रेजी संस्कृत आदि के प्रचार-प्रसार हेतु विद्यालय, महाविद्यालय, कोचिंग सेन्टर, मेडिकल नर्सिंग, विधि, इंजिनियरिंग
3. फार्मेसी, वेटरनरी, बी.एड. मैनेजमेन्ट सम्बन्धी शिक्षा प्रशिक्षण केन्द्र खोलना व उनका संचालन करना।
4. शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सांस्कृतिक व मनोवैज्ञानिक शिक्षा द्वारा सर्वांगीण विकास करना।
5. चिकित्सा व स्वास्थ्य सम्बन्धित सेवाऐं प्रदान करते हुऐ अस्पताल, औषधालय, क्लिनिक, फार्मेसी केन्द्र पशु
6. चिकित्सालय, पैरा मेडिकल एवं शिक्षा सलाह केन्द्र खोलना, एवं उनका संचालन करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष मन्त्री कोषाध्यक्ष

प्रमाणित रजिस्ट्रार (संस्थाऐं) जयपुर

7\. सामाजिक बुराइयों को दूर कर जागृति लाना तथा अन्याय, शोषण व भ्रष्टाचार के विरुद्ध जन जागृति पैदा करना।

8\. युवाओं में खेलकूद की भावना पैदा करते हुये केन्द्र व राज्य सरकारों से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त करना।

9\. पर्यावरण सुधार, वन विकास, वन्य जीव, पशु संरक्षण आदि गतिविधियों को बढ़ावा देते हुये विकास के कार्य करना।

10\. जनहित के कार्यों को करते हुये स्थान-स्थान पर निःशुल्क वाचनालय, पुस्तकालय, धर्मशाला, प्याऊ आदि की व्यवस्था करना।

11\. कम्प्यूटर व तकनीकि शिक्षा और अन्य आधुनिक उपकरणों की जानकारी देना व सम्बन्धित योजनाऐं लागू करना।

12\. लघु उद्योग, जल संरक्षण, फसल प्रबन्धन, कृषि, बागवानी, पर्यटन, विरासत संरक्षण, अजा-जजा आदि का विकास, पशुपालन, मुर्गीपालन,

13\. नशा मुक्ति केन्द्र, क्रेच, हॉस्टल, सड़क सुरक्षा, परिवहन, विज्ञान, प्रौद्योगिकि आदि से सम्बन्धित संस्थाओं का संचालन करना।

14\. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सामाजिक संस्थाओं, राज्य, केन्द्रिय सरकार, बैंक, व वित्तिय संस्थाओं से

15\. विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता दान चन्दा, ऋण आदि के द्वारा धन प्राप्त करना तथा संस्था के विकास में उसका उपयोग करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष मन्त्री कोषाध्यक्ष

4\. सदस्यता :– निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे:–
1- संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों।
2- बालिग हों।
3- पागल, दीवालिये न हों।
4- संस्था के उद्देश्यों में रुचि व आस्था रखते हों।
5- संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों।

5\. सदस्यों का वर्गीकरण :– संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे :–
1-संरक्षक
2-विशिष्ठ
3-सम्माननीय
4-साधारण
(जो लागू न हो, उसे काट दीजिये)

6\. सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा :– उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा :–
1-संरक्षक राशि 10000/- वार्षिक/आजन्म
2-विशिष्ठ राशि 5000/- वार्षिक/~~आजन्म~~
3-सम्माननीय राशि 2000/- वार्षिक
4-साधारण राशि 1000/- वार्षिक
उक्त राशि एक मुश्त अथवा रु. उपरोक्तानुसार की मासिक की दर से जमा कराई जा सकेगी।

7\. सदस्यता से निष्कासन :– संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा :–
1-मृत्यु होने पर
2-त्याग-पत्र देने पर
3-संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर
4-प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर।

प्रमाणित प्रति
रजिस्ट्रार (संस्थाएँ)
जयपुर

अध्यक्ष मन्त्री कोषाध्यक्ष

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर-अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा।

8. साधारण सभा:–

संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।

9. साधारण सभा के अधिकार और कर्त्तव्य :–

साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्तव्य होंगे :–

1-प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना।

2- वार्षिक बजट पारित करना।

3- प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना।

4- संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन करना।

(जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा।

10. साधारण सभा की बैठकें :–

1- साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मन्त्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

2- साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।

3- बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी।

4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुन: 7 दिन पश्चात निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेन्डा में थे।

5- संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हों, के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर-अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे।

अध्यक्ष — मन्त्री — कोषाध्यक्ष

11. कार्यकारिणी का गठन :–

संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जावेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे :–

1. अध्यक्ष-एक 2. उपाध्यक्ष-एक

3. मन्त्री-एक 4. कोषाध्यक्ष-एक

5. सदस्य-सात 6 उपमंत्री एक

(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तन किये जावें, तो यहां अंकित करें। कम रखना चाहें तो कम रख लें।)

इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में 05 पदाधिकारी व 10 सदस्य कुल 15 सदस्य होंगे।

12. कार्यकारिणी का निर्वाचन :–

1- संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा।

2- चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।

3- चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।

13. कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तव्य :–

संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होंगे :–

1- सदस्य बनाना/निष्कासित करना।

2- वार्षिक बजट तैयार करना।

3- संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।

4- वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना व सेवा मुक्त करना।

5- साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।

6- कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।

7- अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हों, करना।

प्रमाणित

अध्यक्ष — मन्त्री — कोषाध्यक्ष

रजिस्ट्रार (संस्थाएं) जालोर

Scanned with CamScanner

14. कार्यकारिणी की बैठकें :– 1- कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठकें अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

2- बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।

3- बैठक की सूचना प्राय: 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।

4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुन: दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व एजेन्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा।

15. प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्त्तव्य :– संस्था की प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्त्तव्य निम्न प्रकार होंगे :–

1-अध्यक्ष :
1- बैठकों की अध्यक्षता करना।
2- मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।
3- बैठकें आहूत करना।
4- संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
5- संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

2-उपाध्यक्ष :
1- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।
2- प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

3-मन्त्री :
1- बैठकें आहूत करना।
2- कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।

अध्यक्ष मन्त्री कोषाध्यक्ष

3- आय-व्यय पर नियन्त्रण करना।
4- वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।
5- संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।
6- पत्र व्यवहार करना।
7- सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों।

4-उपमंत्री :
1- मन्त्री की अनुपस्थिति में मन्त्री पद के समस्त कार्य संचालन करना।
2- अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी/मन्त्री द्वारा सौंपे जावें।

5-कोषाध्यक्ष :
1- वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना।
2- दैनिक लेखों पर नियन्त्रण रखना।
3- चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।
4- अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

16. संस्था का कोष :– संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :–
1- चन्दा
2- शुल्क
3- अनुदान
4- सहायता
5- राजकीय अनुदान

1- उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित रखी जायेगी।
2- अध्यक्ष/मन्त्री/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक में लेन-देन संभव होगा।

प्रमाणित
रजिस्ट्रार (संस्थाऐं) जयपुर

अध्यक्ष मन्त्री कोषाध्यक्ष

फोन: 8107530222
9828555711

रजि. नं. 578/2005–06

गणपति एजुकेशन एण्ड मेडिकेयर सोसायटी

ग्राम पोस्ट– खेजरोली, तह. चौमूँ, जिला– जयपुर (राज.)
पिन कोड: 303803
E-Mail: ganpati2006gems@gmail.com

क्रमांक:

दिनांक.....

तुलनात्मक विधान

क्र.सं.	विधान की धारा	पुराना विधान	नया विधान
1	धारा 4 व 12	बिन्दु संख्या 3 में उद्देश्य 1 से 15 तक यथावत रहेगें	16. शैक्षिक व सामाजिक क्षेत्र के विषयों पर सेमिनार, संगोष्ठियों, व्याख्यान, परिचर्चायें आदि का आयोजन करना। 17. अध्ययनरत छात्रों के गुण विकास में मदद करने, उनकी मौलिक प्रतिभा को सृजनात्मक–स्वरुप प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन करना। 18.बालक–बालिकाओं, महिलाओं व प्रोढ़ों के शैक्षणिक व शारीरिक विकास के लिए बहुउद्देशीय शिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना। 19.बाल–बालिकाओं के बौद्धिक विकास हेतु बाल–बाड़ी, आंगनबाड़ी शिविर केन्द्र आदि का संचालन करना। 20.शैक्षिक व सामाजिक हेतु पत्रिका, अखबार, पुस्तकों आदि का प्रकाशन, कवि सम्मेलन, काव्य गोष्ठियों, गद्य–पद्य समीक्षा साहित्य परिचर्चाओं आदि का संचालन करना। 21.अनाथ, निराश्रित, अपंग, अनुसुचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग एवं विकलांगों के लिए विशेष सेवा प्रकल्प हाथ में लेना। 22.प्रमुख शैक्षिक व सामाजिक समस्याओं के लिए सर्वेक्षण कराना व उनके निदान के लिए आवश्यक सुझावों का प्रतिपादन करना। 23.स्वास्थ्य शिक्षा, शिशु बाल स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य एड्स, एचआईवी, लेप्रोसी, परिवार नियोजन, स्वास्थ्य जागरूकता, सामान्य स्वास्थ्य वयावसायिक और पर्यावरण स्वास्थ्य, समुदाय स्वास्थ्य, शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग आदि क्षेत्रों में कार्य करना एवं इस क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थानों व व्यक्तियों को आर्थिक सहायता एवं संसाधन उपलब्ध करवाना। 24.प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकम्प,बाढ़, सूखा अकाल अग्निकांड, दुर्घटनाय एवं जान–माल का नुकसान करने वाली किसी भी घटनाओं के पीड़ितों को सहायता एवं सेवा उपलब्ध करवाना तथा इस क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं व व्यक्तियों को आर्थिक सहायता एवं संसाधन उपलब्ध करवाना। 25.पर्यावरण–पारिस्थिकी, सामाजिक वानिकी, संयुक्त वन प्रबंध, पर्यावरण–प्रदुषण रोकथाम पशु–संरक्षण एवं जानवरों पर अत्याचार रोकना तथा इस क्षेत्र से कार्य करने वाली संस्थाओं व व्यक्तियों को आर्थिक सहायता एवं संसाधन उपलब्ध करवाना। 26.ग्रामीण विकास एवं कृषि के क्षेत्र में बंजर भूमि सुधार आर्थिक सहायता एवं संसाधन उपलब्ध करवाना, भूमि अधिकार भूमि सुधार आर्थिक सशक्तीकरण, स्वरोजगार कम लागत पर ग्रामीण आवास कृषि–मार्केटिंग सिंचाई आदि के बारे में प्रशिक्षण का कार्य करना एवं क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं व व्यक्तियों को आर्थिक सहायता एवं संसाधन उपलब्ध करवाना। 27.विभिन्न क्षेत्रों में कन्सलटेन्सी, शोध, प्रकाशन, सूचना प्रसार, नेटवर्किंग आदि क्षेत्र का कार्य करना।

रजिस्ट्रार संस्थाएं जयपुर

Ramesh
अध्यक्ष
गणपति एजूकेशन एण्ड मेडिकेयर सोसायटी
ग्राम-खेजरोली तह.-चौमूँ (जयपुर)

सचिव
गणपति एजूकेशन एण्ड मेडिकेयर सोसायटी
ग्राम-खेजरोली तह.-चौमूँ (जयपुर)

कोषाध्यक्ष
गणपति एजूकेशन एण्ड मेडिकेयर सोसायटी
ग्राम-खेजरोली तह.-चौमूँ (जयपुर)

Scanned with CamScanner

फोन: 8107530222
9828555711

रजि. नं. 578/2005–06

गणपति एजुकेशन एण्ड मेडिकेयर सोसायटी

ग्राम पोस्ट– खेजरोली, तह. चौमूँ, जिला– जयपुर (राज.)
पिन कोड: 303803
E-Mail: ganpati2006gems@gmail.com

क्रमांक:

दिनांक.....

			28.अनौपचारिक शिक्षा प्रौढ़ शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा जागरूकता साक्षरता बच्चों के सर्वांगीण विकास मनोवैज्ञानिक तरीकें से आदि क्षेत्र में कार्य करना। 29.बच्चों के ठोस विकास के लिए पूर्व प्राथमिक,उच्च प्राथमिक,माध्यमिक,उच्च माध्यमिक, और उच्चतर शिक्षा देने के उद्देश्य से मान्यता लेकर विद्यालय,महाविद्यालय प्रारम्भ करना, स्थापित करना, चलाना, अधिकार में लेना या प्रबंधन करना और रख–रखाव करना। 30.बच्चों के ठोस विकास के लिए पूर्व प्राथमिक,उच्च प्राथमिक,माध्यमिक,उच्च माध्यमिक, और उच्चतर शिक्षा देने के उद्देश्य से मान्यता लेकर विद्यालय,महाविद्यालय प्रारम्भ करना, स्थापित करना, चलाना, अधिकार में लेना या प्रबंधन करना और रख–रखाव करना। 31.उच्च शिक्षा,तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक पाठ्यक्रम आदि के प्रसार एवं उन्नयन के लिए विश्वविद्यालय,महाविद्यालय, अभियांत्रिक महाविद्यालय, सहित आदि के प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करना। 32.टकण शीघ्रलीपी,कम्प्यूटर,फाइन आर्ट,शिल्प संगीत,पेंटिग मॉडलिंग,नृत्य,योग,शारीरिक शिक्षा और वृतिकार विषयों में प्रशिक्षण सस्थानों का इंतजाम करना और प्रबंध करना। 33.छात्रों और समिति के अन्य सदस्यों को भोजन, वस्त्र, चिकित्सा सहायता परिवहन, पुस्तकालय, प्रयोगशालाए,वाचानालाय,छात्रावास,खेल मैदान तरणताल, और संभव सुविधायें उपलब्ध करवाना। 34.संस्थान के कार्य,लक्ष्यों और उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए समुचित कर्मचार, कर्मकार विधि विशेषज्ञों, प्रबन्धकों एवं एजेन्टों को काम में लगाना नियोजित करना या किराये पर लेना और उनकी मजदूरी वेतन अध्ययनवृति या फीस का भुगतान करना। 35.विभिन्न प्रकार के बाल कल्याण कार्यकमों एवं कियाकलापों का इंतजाम करना और संचालन करना। 36.संस्थानों अथवा संस्थान द्वारा संचालित विभिन्न इकाईयों/परियोजनाओं के नाम से संस्थान के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की पूर्ती हेतु भूमि या भवन का कय अर्जन करना और उस पर विद्यालय,महाविद्यालय प्रशिक्षण संस्थान,ग्रागीण निर्मीत केन्द्र पुस्तकालय बाल विकास केन्द्र पर्यावरण केन्द्र आदि सहित संस्थान के उद्देश्य और लक्ष्यों को पूरा करने के प्रयोजानार्थ आवश्यक भवन निर्माण करना।

[Countinued ....]

अध्यक्ष
गणपति एजूकेशन एण्ड मेडिकेयर सोसायटी
ग्राम-खेजरोली तह.-चौमूँ (जयपुर)

सचिव
गणपति एजूकेशन एण्ड मेडिकेयर सोसायटी
ग्राम-खेजरोली तह.-चौमूँ (जयपुर)

उपाध्यक्ष
गणपति एजूकेशन एण्ड मेडिकेयर सोसायटी
ग्राम-खेजरोली तह.-चौमूँ (जयपुर)

Scanned with CamScanner

फोन: 8107530222
9828555711

रजि. नं. 578/2005-06

गणपति एजुकेशन एण्ड मेडिकेयर सोसायटी

GANPATI EDUCATION & MEDICARE SOCIETY
GEMS

ग्राम पोस्ट- खेजरोली, तह. चौमूँ, जिला- जयपुर (राज.)

पिन कोड: 303803 E-Mail: ganpati2006gems@gmail.com

क्रमांक: दिनांक..........

37.संस्थानो अथवा संस्थान द्वारा संचालित विभिन्न शैक्षणिक व अन्य इकाईयों/परियोजना द्वारा अर्जित या क्रय की गयी चल व अचल सम्पत्ति से निहित वास्तविक एवं व्यक्तिक स्वतवधिकारों को अथवा बाड्स प्रतिभूतियों व जमा राशीयों में निहित हितों को जो कि संस्थान से सरोकार रखतें हैं, को संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ती के लिए किसी भी केन्द्र व राज्य सरकार के विभाग, राष्ट्रीय व राज्य वित्तीय संस्थान हुडको रीको,बैंक अथवा निजी, क्षेत्र के निगमित अथवा गैर निगमित संस्थानों या व्यक्तियों के हक में बंधक/रहन रख कर ऋण सुविधा व आर्थिक सहायता प्राप्त करना।

38.संस्थानों अथवा संस्थान द्वारा संचालित विभिन्न शैक्षणिक व अन्य इकाईयों/परियोजनाओं व अन्य प्रकल्पों की चल व अचल सम्पतियों व अन्य व्यवस्थाओं और सुविधाओं के लिए सरकारी व गैर सरकारी वित्तीय संस्थान एवं विभाग, अन्य संस्थानों,संस्थान के सदस्यों,संस्थान से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष जुडे अभिभावाक,विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं व्यक्तियों से चन्दा ऋण,अनुदान,उपहार अथवा अन्य सहायता राशी,रोकड़ व अन्य किसी रूप से प्राप्त करना।

39.संस्थानों अथवा संस्थान द्वारा संचालित विभिन्न शैक्षणिक व अन्य इकाईयों/परियोजनाओं की अब तक अर्जित और अब के बाद सम्पूर्ण आय अर्जन /अचल सम्पतियो का स्वामित्व व एकाधिकार सस्थान का ही रहेगा।इन सम्पतियों/परिसम्पत्तियों को क्रय/विक्रय अथवा ऋण अथवा आर्थिक सहायता हेतु बंधक/रहन रखने एवं तत्सम्बन्धी दस्तावेज के निस्पादन सम्बन्धी अधिकार संस्थान द्वारा कार्यकारिणी की सभा में अधिकृत व्यक्ति में ही निहित होंगे,व कि प्रत्येक सदस्य में।

40.संस्थानों अथवा संस्थान द्वारा संचालित विभिन्न शैक्षणिक व अन्य इकाईयों/परियोजनाओं की सम्पूर्ण आय,अर्जन,चल/अचल सम्पतियाँ केवल संस्थान के विधान में दिये गये लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ती एवं प्रोन्नति मे प्रयुक्त की जायेगी और लगायी जायेगी और उसके/उनके किसी भाग का,संस्थान के वर्तमान या भूतपूर्व सदस्यों या परोक्ष रूप से लाभांस,बोनस,लाभांस या किसी भी रीति से भुगतान नही किया जाएगा। संस्थान के किसी भी सदस्य का संस्थान के किसी भी चल या अचल सम्पति पर कोई व्यक्तिगत अधिकार/हक नही रहेगा अथवा संस्थान की सदस्यता के कारण कोई लाभ नही कमायेगा।

41.सुसास्कृतिक सामाजिक,मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक ढंग से शिक्षा की सुव्यवस्था कर बच्चों में राष्ट्रीयता की भावना विकसित करना।

42.बच्चों में देश प्रेम समाज एवं मातृभूमि के प्रति प्रेम उत्पन्न करना एवं वसुदैवकुटुम्बकम की भावना उत्पन्न करना।

43.बच्चों में धर्म,जाति,भाषा और साम्प्रदायिकता से उपर उठने की भवना उत्पन्न करना।

44.छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास का संचालन करना अनु. जाति/अनु.जन जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए।

राज. संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1958
की धारा 19 के तहत
यह प्रमाणित किया जाता है कि इस संस्था के कार्यालय में दाखिल कराये गये दस्तावेज जो
पृष्ठ सं. .... से पृष्ठ सं. ....
तक है, की सत्यप्रति है।
1. नकल देने की दिनांक 4-10-19
2. नकल तैयार करने वाले के हस्ताक्षर ....

रजिस्ट्रार संस्थाएं
जयपुर

अध्यक्ष
गणपति एजुकेशन एण्ड मेडिकेयर सोसायटी
ग्राम-खेजरोली, तह.-चौमूं (जयपुर)

सचिव
गणपति एजुकेशन एण्ड मेडिकेयर सोसायटी
ग्राम-खेजरोली तह.-चौमूं (जयपुर)

मिश्री देवी
कोषाध्यक्ष
गणपति एजुकेशन एण्ड मेडिकेयर सोसायटी
ग्राम-खेजरोली तह.-चौमूं (जयपुर)

Scanned with CamScanner